न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 07/2026 बउनवानी जगराम सैनी बनाम तहसीलदार मलारना डूँगर
पुत्र रामलाल सैनी निवासी सेमीपुरा ढाणी मलारना डूँगर

GCMS No-2026/7

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
4.2.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 10.11.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के पत्रांक /आरटीआई/2025/464 दिनांक 17.10.2025 के संबंध में तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति** " तहसीलदार मलारना डूँगर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः एफ/आरटीआई/2026/89 दिनांक 28.1.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2025 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार मलारना डूँगर के पत्रांक /सूकाअ/2025/86 दिनांक 28.1.2026 द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.11.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना तहसीलदार मलारना डूँगर के पत्रांक 86 दिनांक 28.1.2026 के द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर